कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्याः 827 /एस0टी0–अ.जि.म0(प्र0)/2019 दिनांक 01 अगस्त, 2019

विषयः– सिगरेट व तम्बाकू के विज्ञापन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

1–ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रूड़की।
2–नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
3–उप जिलाधिकारी, हरिद्वार/लक्सर/भगवानपुर।

कृपया उपरोक्त विषयक आपको सम्बोधित जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 9270/एस0पी0ओ0–2019, दिनांक 26.06.2019 का सन्दर्भ लें। जिसके द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धारा–5 के अन्तर्गत सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिबन्धित किये जाने के उपरान्त भी जनपद के कई स्थानों पर इस प्रकार के विज्ञापन लगे होने का संज्ञान आने एवं उक्त के अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–7 में बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और अन्य तम्बाकू के उत्पादो की विकी को प्रतिबन्धित किये जाने के बाद भी जनपद में अवैध ब्रांड की सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिकी किया जाना भी संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आप अपने–2 क्षेत्रान्तर्गत 03 दिनों के अन्दर जो भी विज्ञापन सिगरेट व तम्बाकू के प्रचार हेतु लगाये गये है, उनके जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्व नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित करने एवं अवैध ब्रांड की सिगरेट व तम्बाकू की बिकी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या जिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। संज्ञान में आया है कि उक्त के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या आपके स्तर से जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के अनुपालन में आप अपने–2 क्षेत्र में उक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(बी0के0मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार को जिलाधिकारी महोदय के उक्त पत्र दिनांकित 20.06.2019 जिसकी प्रति आपको भी आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित की गयी है, के कम में उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
हरिद्वार।

Scanned by CamScanner